



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941

No. 554]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

सा.का.नि. 679(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये 23 अगस्त 2019 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के, नया परिशिष्ट 1 में, मूर्त आस्तियों से संबंधित भाग क में, मशीनरी और संयंत्र से संबंधित मद III में,—
(क) उपमद (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

आस्तियों का समूह	अवलिखित मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अवक्षयण मोक
1	2
“(2)(i) उनके अलावा, जो प्रविष्टि (ii) के अंतर्गत आती है, मोटर कार, उनसे भिन्न जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लाई जाती है, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् अर्जित की गई है या उपयोग में लाई जा रही है, अंतर्गत आती है	15

(ii) मोटर कार, उनसे भिन्न, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लाई जाती है, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् और 1 अप्रैल, 2020 से पहले अर्जित की गई है और जो 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई जा रही है।	30”;
--	------

(ख) उपमद (3) के पैरा (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :-

आस्तियों का समूह	अवलिखित मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अवक्षयण मोक
1	2
“(ii)(क) उनसे भिन्न, जो प्रविष्टि (ख) के अधीन आती है मोटर बसें, मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लाई जाती है।	30
(ख) मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लाई जाती है, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् और 1 अप्रैल, 2020 से पहले अर्जित की गई है और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई जा रही है।	45”।

[अधिसूचना सं. 69 /2019/फा. सं. 370142/17/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायी प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि 662(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।